राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

1.अपील संख्या 18/2012/सिरोही
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, सिरोही — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अरावली हार्डवेयर स्टोर
स्वरूपगंज, सिरोही — प्रत्यर्थी

2.अपील संख्या 37/2012/सिरोही
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, सिरोही — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जगदम्बा प्रिन्टर्स
सिरोही — प्रत्यर्थी

3.अपील संख्या 41/2012/सिरोही
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, सिरोही — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बृहमाणी एण्टरप्राइजेज
पिण्डवाडा, सिरोही — प्रत्यर्थी

4.अपील संख्या 47/2012/सिरोही
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, सिरोही — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कृष्णा डीजल सर्विस
सिरोही — प्रत्यर्थी

5.अपील संख्या 49/2012/सिरोही
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, सिरोही — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वेदिका जनरल स्टोर
सेलदर, सिरोही — प्रत्यर्थी

6.अपील संख्या 50/2012/सिरोही
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट तृतीय, सिरोही — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विजय आयरन स्टोर
जावल, सिरोही — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री जमील जई
राजकीय उप अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री विष्णु कान्त गर्ग
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.09.2015

निर्णय

उपरोक्त छः अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट तृतीय ,वृत सिरोही (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स) जोधपुर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के द्वारा अपील

संख्या 83,96,78,95,79 उपं 106/आरवैट/सिरोही/10–11 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 14.062011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 के लिए पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.03.2010, 15.03.2010,18.03.2010, 1203.2010 एवं 15.03.2010 के द्वारा प्रत्येक प्रकरण में रू. 5000/– की शास्ति आरोपित की है, को घटाकर प्रत्येक प्रकरण में रू. 500/–को यथावत रखते हुए रू. 4500/– की शास्ति को अपास्त कर अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की हैं। समस्त अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति छः पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी का निर्धारण वर्ष 2007–08 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत् पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.03.2010, 15.03.2010,18.03.2010, 1203.2010 एवं 15.03.2010 को पारित किये हैं। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने वक्त निर्धारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2007–08 से संबंधित चारों तिमाही रिटर्न तथा वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट–10ए विलम्ब से पेश किये गये है इसलिए अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुये अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रू.5,000/– की आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होनें द्वारा आरोपित शास्ति में से रू.4500/– अपास्त कर रू. 500/–को यथावत रखकर प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों आंशिक रूप से स्वीकार कर की गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ये अपीले प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर आफ इनकम टैक्स, देहली के तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय 65 एस टी सी 416 के** न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने का अपराध निरन्तर अपराध (continuing offence) की श्रेणी में आता है जो विलम्ब (Default) होने के साथ यह अपराध शुरू होता है तथा बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत करने तक जारी रहता है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने आगे कहा कि माननीय न्यायालय ने इस

निर्णय में यह भी निर्णित किया है कि अवहेलना (Default) के समय जो कानून प्रचलित या उसके प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपणीय है। अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथनों के साथ प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय स्तर पर दिनांक 24.05.2011 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत किये गये हैं,जिसमें कथन किया है कि वैट अधिनियम के नियम 48 के हवाला दिया गया है,जिसके अनुसार शास्ति आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान जाना आवश्यक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही शास्ति आरोपित की गई, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, जो सुनवाई का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कथन किया कि राज्य के भीतर से नियमानुसार वेट अदा कर खरीद करता है तथा राज्य के भीतर नियमानुसार वेट वसूल कर खुदरा विक्रय करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारीगण मासिक करदाता नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी पर विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत नये एवं पुराने प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकरण में रू. 5000/– की शास्ति आरोपित की है,जो प्रकरण के तथ्यों से परे, अविधिक एवं अनुचित है। उनका कथन है कि जो रिटर्न 08.07.2009 कें बाद देय बनतें हैं उसी पर दिनांक 08.07.2009 के प्रावधान लागू होंगे। उन्होंने आगे कथन किया कि सभी प्रकरण दिनांक 08.07.2009 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित विवरणीयॉ पेश करने से सम्बन्धित है इसलिए उन पर अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अधिकतम शास्ति रू. 500/–ही आरोपित की जा सकती है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत सभी अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान बताये गये एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया । बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने इस पर कथन पर अधिक बल दिया है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्तियों का आरोपण किया गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अविधिक एवं उचित बताया गया है।

बहस के दौरान प्रस्तुत की गई पर विचार करने के पश्चात यह पीठ न्याय हित में प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई अवसर प्रदान करना उचित समझती है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर न्याय संगत आदेश पारित करें। प्रत्यर्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

उपरोक्तानुसार समस्त अपीलों को स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाय गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य